भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2768

जिसका उत्तर 20 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी

2768. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

श्री राजेन्द्र धेड्या गावितः

श्री रवि किशनः

श्री शंकर लालवानीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत के स्वच्छ कोयला भंडारों की अनुमानित क्षमता कितनी हैं; और

(ग) देश में कोल बेड मीथेन की क्षमता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : सरकार ने स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) देश में सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी) को बढ़ावा देने के लिए गैसीकरण के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले कोयले के लिए भविष्य में होने वाली सभी वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामियों के लिए राजस्व अंश में 50% छूट का प्रावधान किया गया है बशर्ते कि गैसीकरण के लिए प्रयुक्त कोयले की मात्रा कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% हो। इसके अलावा, नए कोयला गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराने के लिए एनआरएस क्षेत्र के अंतर्गत

अलग नीलामी विंडो बनाई गई है। कई कोयला गैसीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) नीम-कोटेड यूरिया का उत्पादन करने के लिए एक एकीकृत कोयला गैसीकरण आधारित यूरिया संयंत्र की स्थापना कर रहा है। वर्तमान में, परियोजना निर्माणाधीन चरण में है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) में कोयला गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की गई हैं। एनएलसीआईएल परियोजना के लिए संयंत्र के निर्माण और प्रचालन हेतु एजेंसी के चयन हेतु निविदाएं जारी कर दी गई हैं।

(ii) भारत सरकार ने यूसीजी के विकास को सक्षम बनाने के लिए सितम्बर, 2016 में भूमिगत गैसीफिकेशन (यूसीजी) नीति अधिसूचित की है ताकि कठिन रुप से उत्खनित कोयला और लिग्नाइट संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सके।

(iii) भारत सरकार ने सीबीएम के विकास के लिए 1997 में कोल बेड मीथेन **(सीबीएम)** नीति तैयार की थी। नीति के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) प्रशासनिक मंत्रालय बन गया और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को देश में सीबीएम के विकास के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। कोयला मंत्रालय (एमओसी) के परामर्श से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोयला धारी क्षेत्रों से सीबीएम ब्लॉकों की पहचान की है और उनकी पेशकश की है। कोल बेड मीथेन (सीबीएम) नीति 1997 के आंशिक संशोधन में, 2018 में भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को कोयला धारक क्षेत्रों से सीबीएम के अन्वेषण और दोहन अधिकार प्रदान किए, जिनके लिए उनके पास कोयले के लिए खनन पट्टे हैं।

(iv) सरकार कोयला वाशरियों की स्थापना करके देश में कोकिंग कोयले के परिष्करण को भी बढ़ावा दे रही है।

(ख) : स्वच्छ कोयला भंडार का अनुमान लगाने के लिए कोई विशिष्ट अवधारणा नहीं है। तथापि, 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल कोयला संसाधन 3,78,207.28 मि.ट. है।

(ग) : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीबीएम बोली का दौर I से IV (2001, 2003, 2005 और 2008) शुरू किया था, जिनमें से 8 ब्लॉक प्रचालनाधीन हैं और उत्पादन/विकास

चरण में हैं। इन 8 ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 2430 वर्ग किमी है। वर्ष 2021 में, भारत सरकार ने विशेष सीबीएम बोली दौर (एससीबीएम -21) शुरू किया और लगभग 3860 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाले 4 सीबीएम ब्लॉक प्रदान किए। वर्तमान में, **12 सीबीएम ब्लॉक सक्रिय** हैं, जिनमें से 5 उत्पादन चरण में हैं, 3 विकास चरण में हैं और 4 ब्लॉक (एससीबीएम -21 के दौरान दिए गए) अन्वेषण चरण में हैं। इन 12 सक्रिय सीबीएम ब्लॉकों का कुल पूर्वानुमानित सीबीएम संसाधन लगभग 480 बीसीएम है, जिसमें से 6.13 बीसीएम सीबीएम का उत्पादन अक्टूबर-2023 तक किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 तक 12 सक्रिय सीबीएम ब्लॉकों से सीबीएम उत्पादन का अनुमान नीचे दिया गया है:

	एमएमएससीएम
2023-24	**2024-25**
844	1133

****